न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – अशोक कुमार योगी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 73/2023

अपीलान्ट	बनाम	रेसपोडेन्ट
लखाराम पुत्र नेमाराम जाति हरिजन निवासी सिरासना तहसील डेगाना जिला नागौर		राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार डेगाना

उपस्थिति :–

1. श्री मुकेश चौधरी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 14.02.2024

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, डेगाना द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 272/2023 सरकार बनाम लखाराम में निर्णय दिनांक 01.11.2023 के तहत मौजा सिरासना की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 20.12.23 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 22.12.2023 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में नायब तहसीलदार डेगाना के निर्णय दिनांक 01.11.2023 की फोटोप्रति पेश की।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि दिनांक 01.11.2023 को अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ व जवाब मय दस्तावेज व साक्ष्य सबूत के पेश करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निवेदन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौखिक में प्रार्थी/अपीलांट के निवेदन को स्वीकार कर लिया गया व प्रार्थी/अपीलांट के हस्ताक्षर खाली आदेशिका पर करवा लिये व अपीलांट को जवाब व साक्ष्य का समय प्रदान नहीं किया गया। अपीलांट भी अधीनस्थ न्यायालय से संतुष्ट होकर अपने घर आ गया व अपीलांट को यह कहा गया कि आपके खिलाफ कार्यवाही ड्रॉप कर दी जावेगी। किन्तु अपीलांट को अचानक ही पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट के विरूद्व दिनांक 01.11.2023 को ही बेदखली व जुर्माने के आदेश कर दिये गये थे, की जानकारी दी गई, तब अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय से नकल के लिए आवेदन प्रस्तुत किया व दिनांक 13.12.2023 को नकल प्राप्त कर नागौर आया व अपना अधिवक्ता मुकर्रर कर उनसे कानूनी सलाह लेकर न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जो जानकारी से अंदर मियाद है, जिससे अपील को अन्दर मयाद शुमार किये जाने बाबत् आवेदन पेश किया। न्याय हित मे देरी माफ कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाना न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)– निर्णय जेर अपील खिलाफ कानून तथ्यों व परिस्थितियों के विरूद्व साक्ष्य व रेकर्ड के विरूद्व तथा मौके की स्थिति के विरूद्व होने के अतिरिक्त प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(II)– अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर ही नहीं दिया एवं नोटिस जारी होने के महज 05 दिनों के भीतर ही अपीलांट का प्रकरण मात्र एक पेशी पर ही बिना अपीलांट को साक्ष्य, सबूत व जवाबदेही का युक्तियुक्त, सम्यक व पर्याप्त अवसर दिये ही केवलमात्र पटवारी हल्का सिरासना की रिपोर्ट को एकतरफा में हुबहु आधार बनाते हुए निस्तारित कर मातहत न्यायालय ने भारी विधिक त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अल्प समय में ही बिना विधिक प्रक्रिया अपानाएं बिना जवाब व साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये निर्णय जेर अपील पारित किया हैं, इस कारण निर्णय जेर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(III)– अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जब अपीलांट उपस्थित हुआ था, तब अपीलांट को यह कहकर आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये थे कि आपकी उपस्थिति दर्ज करनी है व आपको जवाब व साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिया जायेगा, मगर अपीलांट को मुगालते में रखकर अपीलांट के विरूद्व दिनांक 01.11.23 को ही बेदखली व जुर्माने के आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी विधिक त्रुटि कारित की है।

{2}(IV)–अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को दिये गये नोटिस दिनांक 26.10.2023 मे यह अंकन किया गया हैं कि खसरा नम्बर 629 गैर मुमकिन गोचर पर अतिक्रमण किया गया है, लेकिन पटवारी हल्का द्वारा नजरी नक्शा दिनांक 25.10.2023 बनाते समय पटवारी रिपोर्ट के पिछले पृष्ठ पर उक्त बाबत एक नक्शा भी बनाया गया था, उस नक्शे में कही भी खसरा नम्बर 629 गैर मुमकिन गोचर का उल्लेख नही है,

अपर कलक्टर, नागौर

नाप का उल्लेख नहीं किया गया है एवं न ही किस दिशा में, कितने नाप पर, किस आसे-पासे पडोसो के बीच अतिक्रमण किया हैं, इस बाबत मौका रिपोर्ट में किसी प्रकार का अंकन नहीं किया गया हैं, इससे स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट अस्पष्ट है व अस्पष्ट मौका रिपोर्ट के आधार पर किसी प्रकार का विधि सम्मत आदेश पारित करना न्याय संगत नहीं हैं, अधीनस्थ न्यायालय ने इस विधिक बिन्दु को नजरअंदाज कर विधिक त्रुटि कारित की हैं, जिससे निर्णय जेर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(V)–अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करते समय अत्यन्त ही जल्दी एवं हडबडी रखते हुए निर्णय पारित किया हैं, क्योंकि वर्तमात प्रकरण में न तो अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाइ का अवसर दिया गया व न ही जवाब हेतु अवसर दिया गया, मात्र जल्दबाजी पूर्वक अपीलांट को बेदखली करने के उद्देश्य से यह निर्णय जेर अपील पारित किया हैं, जिससे भी आदेश जेर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(VI)– मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शे के संबंध में पटवारी हल्का के बयान लेने व उसके उपरांत विधि सम्मत रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के अनुरूप अपीलांट प्रभावित व हितबद्व पक्षकार को प्रति–परीक्षण का अवसर दिये बिना ही आदेश जेर अपील पारित किया गया है, इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अपीलांट के विरूद्व की गई कार्यवाही सरसरी तौर पर की गई है।

{2}(VII)– सम्पूर्ण मौका रिपोर्ट तहसील कार्यालय में बैठकर बनाई हुई प्रतीत होती हैं, क्योंकि पटवारी हल्का द्वारा न तो मौके पर जाकर मौका निरीक्षण किया गया, न ही मौके पर जाकर विधि सम्मत मुन्तकिल पाइंट निर्धारित कर नाप चौप किया गया, इससे यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने में निहित क्षेत्राधिकारों का गलत रूप से अवलम्बन लेकर निर्णय जरे अपील पारित किया हैं, जो खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(VIII)– वादग्रस्त भूमि स्थानीय निकाय ग्राम पंचायत के आबादी क्षेत्र में स्थित भूमि अन्तर्गत आती हैं, उक्त अतिक्रमण बताये जा रहे कथित खसरा की भूमि में घनी आबादी बसी हुई है तथा करीब 150 से अधिक से अधिक परिवार मकान, बाडे आदि बनाकर सपरिवार निवास करते है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने की क्षेत्राधिकारिता राजस्व कर्मचारियों व नायब तहसीलदार डेगाना, पटवारी हल्का सिरासना को नहीं होते हुए भी उनके द्वारा गलत रिपोर्ट पेश करना, नोटिस जारी करना व उपरांत धारा 91 आरएलआर एक्ट की कार्यवाही कर अपीलांट को अतिक्रमी घोषित करना अधिकारातीत व क्षेत्राधिकारों से परे होने से कार्यवाही विधि की दृष्टि में दूषित है तथा खारिज किये जाने काबिल है।

{2}(IX)– खसरा नम्बर 629 रकबा 0.05 हैक्टेयर मौजा सिरासना की भूमि कभी भी गैर मुमकिन गोचर की भूमि के रूप में काम में नहीं आ रही थी, न वर्तमान में है। ग्राम सिरासना की आबादी उक्त खसरा पर बसी हुई है। विवादित सम्पूर्ण भूमि में सिरासना गांव के लगभग 150 लोगो के रहवासी मकान व बाडे बने हुए है। अपीलांट का भी रहवासी मकान एवं पशुओ हेतु बाडा हुआ है। उक्त मकान में अपीलांट अपने परिवार सहित पिछले दशको से निवास करता आ रहा है, मौके पर उक्त भूमि गैर मुमकिन गोचर के रूप में कभी भी काम में नहीं ली गई, न ही इसका स्वरूप गैर मुमकिन गोचर का कभी भी मौजूद था। केवलमात्र राजस्व रेकर्ड की गलत इन्द्राजी व राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों, सेटलमेन्ट कर्मचारियों की भूमि को अपीलांट सहित अन्य बेकसूर लोगो पर थोप कर उन्हे विधि विरूद्व रूप से बिना साक्ष्य, सबूत व जवाबदेही का अवसर दिये जबरन बलपूर्वक राजनैतिक द्वेषता के चलते बेदखल करने की बदनियती से यह कार्यवाही हाजा अधीनस्थ न्यायालय ने अमल में अमल में लाकर गलत, अनुचित व अवैध प्रकार से आदेश जेर अपील बेदखली व जुर्माना का पारित किया हैं, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा सिरासना में स्थित गै. मु. गोचर पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, डेगाना द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत मौजा सिरासना के प्रकरण संख्या 272/2023 सरकार बनाम लखाराम निर्णय दिनांक 01.11.2023, से असंतुष्ट होकर अपील पेश की। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है, अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. गोचर है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार योगी)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर